Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 15-12-2005

Participants : Khanna Shri Avinash Rai

>

Title : Resentment among farmers in Punjab over restriction on the use of their own land.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान पंजाब के उन 470 गांवों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां के लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण न अपनी जमीन इरीगेट कर सकते हैं और न ही उस पर घर बना सकते हैं। सन् 1900 में एक एक्ट बनाया गया था जो फॉरैस्ट एक्ट का हिस्सा है। पंजाब में पंजाब लैंड प्रिज़र्वेशन एक्ट 105 वर्ा पहले इरोज़न रोकने के लिए बनाया गया था, तब बारिश होती थी। लेकिन 105 वर्ा बाद क्लाइमेट बदला है, वहां सिचुएशन बदली है, लेकिन उन लोगों को अपनी जमीन पर इरीगेशन, कल्टीवेशन और घर बनाने का मौका नहीं मिला। एक्ट को रीइन्फोर्स करना होता है, दुबारा पास करना होता है, जिसके लिए रिस्पैक्टिव कलैक्टर्स को उन लोगों को नोटिस देना होता है, उनकी बात सुननी होती है। लेकिन वह फार्मैलिटी भी पूरी नहीं की जाती। इस कारण वहां के लोग 470 गांवों की 66,166.82 हेक्टेयर जमीन को कल्टीवेट नहीं कर सकते। इसी तरह 3200 एकड़ के करीब जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए है। वे वहां भी अपनी रिहाइश नहीं बना सकते।

अगर पंजाब सरकार बिल या एक्ट अमैंड करने के लिए फॉरैस्ट मिनिस्ट्री को भेजती है तो कृपया लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उस एक्ट को अमैंड किया जाए।...(व्यवधान) फॉरैस्ट से जुड़ा हुआ प्वाइंट है। दूसरी तरफ जापान ने कंडी एरिया, जिसमें तीन डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, खास तौर से मेरी कौन्सटीटूएंसी पड़ती है, उसमें कुछ पैसा पेड़ लगाने के लिए दिया गया, लेकिन वहां पेड़ नहीं लगाए गए। वहां इतना बड़ा स्कैम है कि फॉरैस्ट ऑफिसर्स, फॉरैस्ट डिपार्टमैंट अगर कहीं-कहीं वन लगाता है तो आग लगाकर ऐसा शो कर दिया जाता है कि सारे फॉरैस्ट नट हो गए। इसकी इन्क्वारी करवाने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि कंडी एरिया के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार को पीएलपीए एक्ट अमैंड करने की अनुमति दी जाए ताकि लोग अपनी जमीन का सही इस्तेमाल कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।